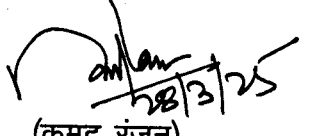


बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
-:आदेश:-

संख्या-08/स्था० (अभि०)-01 (स्थाना०)-01/2024- 1414 /पटना-15, दिनांक- 28/3/25

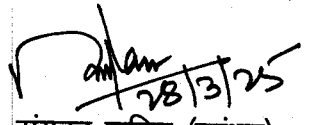
श्री पद्मकांत झा (आई०डी० संख्या-3323), रीडर (संविदा नियोजित), जल उपयोग प्रबंधन, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी को अगले आदेश तक पूर्णकालिक रूप से भारत सरकार से संबंधित मामलों के सलाहकार के रूप में सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इस आदेश के तहत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के मानदेय का भुगतान उनके मूल पदस्थापन कार्यालय से नियमानुसार किया जायेगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-08/स्था० (अभि०)-01 (स्थाना०)-01/2024- 1414 /पटना-15, दिनांक- 28/3/25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक-3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख/निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना [Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)] पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव (प्रबंधन)